# न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादूंन।

निगरानी संख्या–204 / 2016–17 अन्तर्गत धारा–333जं0वि0अधि0

1– पदम बहादुर थापा, 2. तारा सिंह, 3. संजय कुमार, 4. अनूप थापा, पुत्रगण स्व0 जोगेन्द्र बहादुर थापा, निवासीगण–ग्राम चकजोगीवाला, पो0–छिद्दरवाला, तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून।

बनाम

1– राज्य सरकार द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून, 2. ग्राम सभा चक जोगीवाला द्वारा प्रधान ग्राम सभा जोगीवाला, जिला देहरादून।

| | | |
|---|---|---|
| उपस्थित | : | पी0एस0जंगपांगी सदस्य(न्यायिक)। |
| अधिवक्ता निगरानीकर्तागण | : | श्री बी0पी0 शर्मा। |
| अधिवक्ता प्रतिपक्षी राज्य सरकार | : | श्री विनोद कुमार डिमरी, जि0शा0अधि0 (राजस्व) |

## आदेश

यह निगरानी निगरानीकर्तागण ने विद्वान तहसीलदार ऋषिकेश द्वारा वाद संख्या–5 / 2014 अन्तर्गत धारा–186 ज0वि0अधि0 जोगेन्द्र बहादुर बनाम ग्राम सभा में पारित आदेश दिनांक 25–03–2015 के विरूद्व प्रमुखतः इन आधारो पर प्रस्तुत की गई है कि उनके पिता स्व0जोगेन्द्र थापा जो भूतपूर्व सैनिक थे को ग्राम चकजोगीवाला के खसरा नं0–230 / 1 क्षेत्रफल 0.1740 है0 भूमि का आवटंन किया गया था जिसका कब्जा देकर उसका नाम कागजात माल में दर्ज किया गया, कि दिनांक 20–01–2014 को हल्का लेखपाल द्वारा निगरानीकर्ता संख्या–1 को बताया गया कि आपका नाम वादग्रस्त भूमि से काट दिया गया है, अतः इस भूमि को खाली कर दे क्योंकि यह भूमि अन्य लोगो को आवंटित की जा रही है, कि यह जानकारी होने के उपरान्त निगरानीकर्तागण द्वारा अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा पाया कि तहसीलदार, देहरादून ने वाद संख्या–109 वर्ष 1993–94 गांव सभा चकजोगीवाला बनाम जोगेन्द्र सिंह अन्तर्गत धारा–186 ज0वि0अधि0 में पारित आदेश दिनांक 23–03–1995 से द्वारा आवंटी का नाम निरस्त कर भूमि गांव सभा में अन्तरित कर दी है, कि तत्पश्चात निगरानीकर्तागण द्वारा पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र तहसीलदार ऋषिकेश के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि आदेश दिनांक 23–03–1995 पारित करने से पूर्व कोई सूचना आंवटी को नही दी गई है जिस कारण आवटी अपना पक्ष नही रख पाया है जबकि आवंटी की मृत्यू 29–12–2011 को होने के कारण वादग्रस्त भूमि पर आवटी के वारिस / निगरानीकर्तागण काबिज है लेकिन विद्वान तहसीलदार द्वारा पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र कालबाधित होने के कारण

आदेश दिनांक 25–03–2015 से निरस्त कर दिया गया है अतः निगरानीकर्तागण का रैस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिनांक 23–03–1995 निरस्त कर उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाय।

मैने निगरानी की ग्राह्यता पर निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया।

निगरानीकर्तागण द्वारा शपथ पत्र द्वारा समर्थित निगरानी पत्र में उल्लेख किया गया है कि आंवटी की मृत्यु दिनांक 29–12–2011 में हुई है जबकि आदेश दिनांक 23–03–1995 पारित करने से पूर्व हल्का लेखपाल से जो रिपोर्ट प्राप्त कि गई उसमें आवंटी जोगेन्द्र बहादुर की मृत्यू होने का उल्लेख किया गया है। निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र पर विद्वान तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–03–2015 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि पूर्व पारित आदेश दिनांक 23–03–1995 को पारित करने से पूर्व आवंटी अथवा उसके वारिसानो को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया है व एकपक्षीय रूप से वादग्रस्त भूमि पर से आवंटी का नाम निरस्त कर गांव सभा में दर्ज किया गया है तथा पुनर्स्थापन प्रार्थना भी कालबाधित मानते हुए निरस्त किया गया है। निगरानीकर्तागण के पिता/आवंटी को बिना सुने एवं साक्ष्य के अवसर प्रदान किये आवंटित भूमि को गांव सभा में निहित किया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित नही है। निगरानीकर्तागण को अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के दृष्टिगत आवश्यक है। फलस्वरूप निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही स्वीकार कर अवर न्यायालय में प्रस्तुत निगरानीकर्तागण का पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आक्षेपित आदेश दिनांक 25–03–2015 एवं 23–03–1995 अपास्त कर प्रकरण विद्वान तहसीलदार, ऋषिकेश को इस आशय से प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे निगरानीकर्तागण को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर ही प्रकरण में विधिसम्मत आदेश पारित करे। पक्षकार दिनांक 17–11–17 को अवर न्यायालय में उपस्थित हो। तब तक वादग्रस्त भूमि के समक्ष में यथास्थित बनी रहेगी।

दिनांकः– 24–10–2017

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)